न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 48 / 2022

पीठासीन अधिकारी– श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थीगण – 1. पूनमचंद 2. वीरमा 3. सोहनी पि. मालाराम 4. राजूराम 5. नेनुदेवी पत्नी बाबूलाल 6. गीता 7. वर्षा 8. भावना 9. वसुन्धरा पि बाबूलाल 10 पुरखाराम 11. भाखराराम 12. सुखाराम पि. तेजाराम जाति विश्नोई निवासी सेडवा तहसील सेडवा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी – 1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण वकील – श्री मोहनलाल खिलेरी

उपखण्ड अधिकारी सेडवा

निर्णय

दिनांक :– **02.09.2022**

राजस्व आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत मौजा सेडवा पटवार क्षेत्र सेडवा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में मूल खसरा नम्बर 532 / 174 रकबा 34.12 बीघा की आया हुआ है । उक्त खसरे से आपसी सहमति से विभाजन होने से अलग–अलग बट्टा नम्बर सृजित हो गये। प्रार्थीगण के द्वारा खसरा संख्या 532 / 174 रकबा 34.12 बीघा भूमि में से 01.10 बीघा का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया था जिसका नवसृजित खसरा संख्या 820 / 174 रकबा 01.10 बीघा, खसरा संख्या 821 / 174 रकबा 01.10 बीघा कायम किया गया। उपरोक्त सपंरिवर्तन के पश्चात प्रार्थीगण के कद्वारा उपरोक्त खसरा संख्या 820 / 174 रकबा 01.10 बीघा से 50 फिट की दूरी को छोडकर 30 फिट भूमि सडक निर्माण हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गई जिसके खसरा संख्या 1001 / 174 बिला कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में कायम किया गया। उक्त समर्पित भूमि सेडवा–बाखासर मुख्य सडक के केन्द्र से 175 फिट दूरी पर स्थित है। उक्त समर्पित भूमि का नक्शे में तरमीम अंकित करते वक्त हल्का पटवारी द्वारा खसरा संख्या 820 / 174 व 821 / 174 से [illegible] की दूरी को विलोपित करते हुए उक्त खसरों के लगोलग [illegible] भूमि का अंकन किया गया, जो कि गलत एव त्रृटिपूर्ण है जबकि [illegible] समर्पित भूमि व खसरा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 13:39:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

820 / 174 एवं 821 / 174 के मध्य मूल खसरा 832 / 174 की रकबा 02.05 बीघा भूमि का नक्शें में अंकन नहीं कर त्रृटि कारित की है, उक्त त्रृटिपूर्ण तरमीम को दुरस्त करवाकर राजस्व रेकर्ड व नक्शा लट्टा ट्रेस में रकबा 02.05 बीघा का अलग से खसरा कायम करवाने का अधिकारी है। उक्त खसरो के संपरिवर्तन के प्श्चात प्रार्थीगण के द्वारा 50 फिट छोडते हुए 30 फिट भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की थी तत्पश्चात खसरा संख्या 1022 / 174 रकबा 1.00 बीघा एवं खसरा संख्या 1007 / 174 रकबा 01.10 बीघा भूमि का संपरिवर्तन सेडवा–बाखासर मुख्य संडक के केन्द्र से 205 फिट भूमि का छोडकर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम करते वक्त प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को ऐकमेक करते हुए गलत तरमीम कर दी गई है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एवं संपरिवर्तन की गई भूमि के बीच में 2.05 बीघा भूमि खाली रहती है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रृटिपूर्ण तरमीम करते हुए उक्त 2.05 बीघा भूमि की तरमीम मूल खसरे के साथ कर दी गई है, जो कि गलत की गई है। उक्त गलत तरमीम की वजह से प्रार्थीगण द्वारा जिस उद्देश्य से भूमि का संपरिवर्तन करवाया गया था उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। लट्ठा ट्रेस में तरमीम विपरीत है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा सेडवा पटवार क्षेत्र सेडवा भू अभिलेख निरीक्षक सेडवा तहसील सेडवा के मूल खसरा संख्या 532 / 174 रकबा 34.12 बीघा किस्म बा.दो. से नवसृजित खसरा संख्या 532 / 174 रकबा 07.12 बीघा, खसरा संख्या 1004 / 174 रकबा 15.04 बीघा, खसरा संख्या 1003 / 174 रकबा 07.12 बीघा, खसरा संख्या 1002 / 174 रकबा 02.01 बीघा एवं सपरिवर्तन की भूमि खसरा संख्या 820 / 174 व 821 / 174, 1022 / 174, 1023 / 174 एवं 1007 / 174 के बीच शेष रही भूमि रकबा 02.05 बीघा की लट्ठा ट्रेस में पूर्व में की गई गलत तरमीम को खारिज कर संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये अनुसार दुरस्त करते हुए शेष रहे रकवा बीघा को नवसृजित खसरा संख्या 532 / 174, 1004 / 174, 1003 / 174,1002 / 174 से आंशिक [illegible] हुए नया खसरा सृजित करते हुए नक्शा लट्ठा ट्रेस में खसरा [illegible] तथा 1001 / 174 के बीच रकबा 02.03 बीघा के [illegible] बीघा भूमि की तरमीम किये जाने के आदेश फरमाया जावें। जिस हेतु यह तरमीम [illegible] का प्रार्थना पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 13:39:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तहसीलदार सेड़वा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जो दिनां क 24.08.2022 को प्राप्त हुई जिसे शामिल मिशल किया गया।

प्रार्थीगण वकील उपस्थित। प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गयी बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार सेडवा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी वकील ने खसरा नवसृजित करने एवं तरमीम दुरस्त करने के लिये आवेदन अर्न्तगत धारा 131, 136 का प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं तहसीलदार से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं मूल खसरा में से सम्परिवर्तित आदेशों एवं नक्शों का अवलोकन करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि प्रार्थना पत्र सारहीन एवं तथ्यहीन होने से एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2022 को खुले इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 13:39:35 IST
Reason: SelfAttested